सं. 35–22/2009–ओ एण्ड एम/आर टी आई
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांकः दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषयः **सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005**

सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिदेश सब्सीडी कार्यक्रमों के निष्पादन के तरीके जिसमें ऐसे कार्यक्रमों के लाभानुभोगियों के ब्यौरे तथा आबंटित धनराशि शामिल हैं, के संबंध में लोक प्राधिकारियों द्वारा धारा 4 (1) (ख) (xii) के तहत स्पष्ट जानकारी प्रदान करना है। ऐसी जानकारी इसको प्रभावी बनाने के लिये ऐसे स्थान, समय तथा तरीके से दी जानी चाहिये कि यह लाभानुभोगियों तथा अन्य पणधारकों के लिये प्राप्य हो।

2. कृषि विभाग ऐसे बहुत से कार्यक्रमों के लिये धनराशि प्रदान करता है जिनके तहत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में संलग्न लाखों किसानों की जीविका सुरक्षा तथा राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के लिये कृषि तथा बागवानी फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिये किसानों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सब्सीडी दी जाती है।

3. कृषि विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सब्सीडी स्वीकार्य है। (परिशिष्ट के अनुसार)

4. ये सभी स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा उनके विभागों, विशिष्ट एजेंसियों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। अंततः आबंटित धनराशि तथा लाभानुभोगियों के ब्यौरे राज्य स्तर पर विभिन्न क्रियान्वयनकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार, सूचना का अधिकार अधिनियम की ये अपेक्षायें राज्य सरकार की क्रियान्वयनकारी एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी तथा सार्थक ढंग से पूरी की जा सकती हैं। इसके अलावा, यदि राज्य सरकार आधारभूत स्तर पर क्रियान्वयनकारी एजेंसियों सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को उपरोक्त सूचीबद्ध कार्यक्रम के प्रत्येक घटक के तहत वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त करने वाले लाभानुभोगियों, उपलब्ध सब्सीडी तथा लागत मानकों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने के लिये निर्देश देती है तो इन स्कीमों का क्रियान्वयन भी और अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शितापूर्ण होगा।

5. आर टी आई अधिनियम के तहत इस अपेक्षा को वास्तविक रूप दिया जा सकता है, बशर्ते कि आधारभूत स्तर पर क्रियान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित प्रत्येक कार्यक्रम घटक के तहत विस्तृत जानकारी की प्रति लाभानुभोगियों तथा अन्य पणधारकों द्वारा निरीक्षण एवं प्रति प्राप्त करने हेतु ऐसी क्रियान्वयनकारी एजेंसी के कार्यालय में उपलब्ध कराई जाये। राज्य सरकार में यह रिपोर्ट करने के लिये कि इस प्रणाली को वास्तविक रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता है।

....../–

6. राज्य सरकारें इस मामले में तत्काल निर्देश जारी करें तथा साथ ही प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में इस आशय का प्रमाणपत्र प्रदान करें कि आर टी आई अधिनियम के तहत यह अपेक्षा पूरी कर ली गई है तथा ऐसी जानकारी उपरोक्त विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार वास्तव में प्रदर्शित की गई तथा क्रियान्वयनकारी एजेंसियों के कार्यालय में उपलब्ध कराई गई।

(टी. नन्द कुमार)
सचिव (कृषि एवं सहकारिता)

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. कृषि एवं सहकारिता विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।

परिशिष्ट

(i) गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन व वितरण के लिये अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण।
(ii) मण्डी अवसंरचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का विकास।
(iii) ग्रामीण भण्डारण योजना।
(iv) समेकित तिलहन, आयलपाम, दाल एवं मक्का विकास स्कीम (आइसोपाम)।
(v) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (एमएम–II)
(vi) कृषि में वृहत प्रबंध स्कीम।
(vii) सूक्ष्म सिंचाई
(viii) राष्ट्रीय बांस मिशन
(ix) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।
(x)राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (शीत श्रृंखला सहित)
(xi) राष्ट्रीय बागवानी मिशन।
(xii) राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड
(xiii)राष्ट्रीय मृदा स्वाथ्य एवं उर्वरता प्रबंध परियोजना।
(xiv) राष्ट्रीय जैविक खेती संवर्द्धन परियोजना।
(xv) फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन
(xvi) प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के जरिए कृषि यंत्रीकरण का संवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण।
(xvii)राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
(xviii) नारियल विकास बोर्ड की सकीमें।
(xix) लघु कृषक कृषि व्यापार परिसंघ (एसएफएसी)।
(xx) विस्तार सुधारों के लिये राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता।
(xxi) कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी)
(xxii) सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचलप्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन।
(xxiii) पूर्वोत्तर राज्यों के झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास।